प्रश्न -नगर निगम का गठन एवं कार्यों की विवेचना करें।

जिस प्रकार गांव में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है उसी प्रकार नगरों के लिए नगरीय स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है 74 वें संविधान संशोधन 1992 के तहत बड़े शहरों के लिए नगर निगम छोटे शहरों के लिए नगर परिषद एवं संक्रमण शील क्षेत्रों के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्र में नगर पंचायत की गठन करने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम की स्थापना बड़े शहरों में की जाती है। जिसका क्षेत्रफल व जनसंख्या लाखों में होती है। नगर निगम नगरीय स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी इकाई है इसके गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 थ मे किया गया।

नगर निगम का गठन - नगर निगम के प्रादेशिक क्षेत्रों को विभिन्न वार्डों में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक वार्ड से वहां के स्थानीय जनता के द्वारा वार्ड पार्षद का चयन करते हैं वार्ड पार्षद उसी वार्ड

स्थानीय मतदाता होना आवश्यक होता है । इसके अलावा उस बड़े शहर का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा अथवा राज्य के विधानसभा सदस्य इसकी बैठक में भाग लेते हैं इसके अलावे ऐसे व्यक्ति जो नगर निगम के प्रशासन पर विशेष ज्ञान रखते हो उसे भी इसमें शामिल किया जाता है।

स्थानों का आरक्षण-। 74 वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्थानीय स्वशासन में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए किया गया है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण किए गए हैं। कार्यकाल ---- नगर निगम का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से लेकर 5 वर्षों के लिए होती है। सदस्यता के लिए योग्यताएं---------- नगर निगम का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक है। सर्वप्रथम उसे उस शहर का मतदाता होनी चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए इसके अलावा राज विधानमंडल द्वारा बनाए गए अन्य विधि द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए।

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ---- नगर निगम मे एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है ।जिसे मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है जिसका चयन वहां के स्थानीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होती है। जो नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मेयर महापौर होता है। नगर निगम के मेयर को दो तिहाई बहुमत के आधार पर पद से हटाया भी जा सकता है इसके लिए उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास करवाना होता है। नगर निगम के कार्य -- - संविधान के 12वीं अनुसूची के तहत नगर निगम को 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्तियां प्रदान की गई है। - 1. नगर यह योजना बनाना। 2. भूमि उपयोग का विनिमय एवं भवनों का निर्माण। 3. सड़क एवं पुल का निर्माण। 4. घरेलू स्वच्छता साफ-सफाई एवं लोक स्वास्थ्य का प्रबंध 5.अग्निशमन सेवा। 6.नगरीय वानिकी पर्यावरण संरक्षण 7. समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की संरक्षण 8. गंदी बस्तियों में सुधार व उन्नयन नगरिया निर्धनता को कम करना 9 . नगरीय सुख-सुविधाओं को बहाल करना 10. शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना 11

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना 11. कब्रिस्तान, एवं श्मशान घाट की व्यवस्था करना 12. जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन करना 13. लोक सुख सुविधा हेतु शहर में सड़कों के किनारे रोशनी, पार्किंग स्थल, बस पड़ाव, टाउन हॉल आदि जन सुविधा का व्यवस्था करना 14. गौशालाओं एवं चर्म शोधन शालाओं का विनिमयन करना आदि प्रमुख कार्य हैं ।